रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272755
CG-DL-E-22052026-272755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 347] | नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948 |
| No. 347] | NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948 |


## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

**सा.का.नि. 382(अ).—**केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, मौजूदा नियम 125च के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“125-च. वाहन श्रेणियों एल और एम की सड़क एम्बुलेंस का टाइप अनुमोदन-

1. 1 अप्रैल 2018 को और उसके बाद निर्मित एल और एम श्रेणियों की सड़क एम्बुलेंस, उस श्रेणी में निर्दिष्ट सभी एम्बुलेंस के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 125 (पार्ट 1)-2014 के अनुरूप होंगी।
2. अंतिम अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर निर्मित, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी की श्रेणी एम की सड़क एम्बुलेंस, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 125 (पार्ट 1) में निर्दिष्ट आपातकालीन और सुरक्षा/बचाव उपकरणों से सुसज्जित होंगी।
3. 1 अक्टूबर 2026 को और उसके बाद निर्मित सभी विशुद्ध इलेक्ट्रिक सड़क एम्बुलेंस (ई-एम्बुलेंस), उसके साथ ले जाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए बिजली हेतु अतिरिक्त बैटरी से लैस होंगे। अतिरिक्त बैटरियों की विशिष्टताएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 125 (पार्ट 1) में निर्दिष्ट किए जाएंगे। ”

[फा. सं. आरटी-11028/10/2013-एमवीएल]
महमूद अहमद, अपर सचिव

**नोटः** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक ........... द्वारा संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2026

**G.S.R. 382(E).—**The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

**Draft Rules**

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), for the existing rule 125-F, the following shall be substituted, namely;

"125-F. Type Approval of Road Ambulances of Vehicle Categories L and M.-

1. Road Ambulances of categories L and M manufactured on and after 1st April 2018, shall be in accordance with AIS 125 (Part 1)-2014, as amended from time to time, for all ambulances specified therein.

2. Road ambulances of category M of Type B, Type C and Type D, manufactured on and after three months from the date of the final notification, shall be equipped with emergency and safety/rescue equipment as specified in AIS 125 (Part 1), as amended from time to time.

3. All Pure Electric Road Ambulances (E-Ambulances), manufactured on and after 1st October 2026, shall be equipped with additional batteries to power the medical devices carried on board. The specifications of additional batteries shall be as specified in AIS 125 (Part 1), as amended from time to time. "

[F. No. RT-11028/10/2013-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.22 11:48:55 +05'30'